

2025/940

09/01/25
10.4.2025

फर्द अहकाम (नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
आशीदेवी बनाम हंसराज आदि

मुकदमा क्रिसम अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 216 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
18.12.2025	<p>प्रार्थीया आशीदेवी की तरफ से वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 21-22 डीडब्ल्यूडी के खाता सं. 161/422(65) कि.नं. 6/1, 6/2, 7 ता 25, प.नं. 161/423(68) कि.नं. 3 ता 9, 12 ता 15 की कुल 7.843 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तत्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 05.01.2026 को पेश हो।</p>	
	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	
5.1.22	<p>बार संघ का कामें सम्पन्न होने पर पत्रावली प्रयानुसार दिनांक 10.3.22 को पेश हो।</p>	
10.3.22	<p>1 कुलाप फर्द अहकाम उपस्थित/PU माह 2022 मेमबर 2 पत्रावली 2 वकील दिनांक 18.3.2022</p>	
18.4.22	<p>1 कुलाप फर्द अहकाम उपस्थित/PU माह 2022 मेमबर 2 पत्रावली 2 वकील दिनांक 10.4.2022</p>	
10.4.2022	<p>वडवाए फर्दिंग उपस्थित। पत्रावली से सबखिल मूल्य काट निस्कारित हो चुका है। काब वत उमरण में कासे जिले कार्यवाही से आम्बपन्ना नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खालि रिग जाग है। पत्रावली नष्ट से कम की जायद डाकिल इम्तार हो।</p>	

